

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 17/2023 आवंटन निरस्ती

GCMS No. 2023/45

सरकार

— प्रार्थी

बनाम

श्री सुमेरसिंह पिता भोपाल सिंह / श्रीमती माया कुंवर पत्नी श्री सुमेर सिंह राजपूत
निवासी: गांव टाक, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 वास्ते विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त कराये जाने बाबत।


- उपस्थित: 1. श्री कल्पित जैन, परोकार सरकार
2. श्री इन्द्रविजय सिंह अधिवक्ता विपक्षी



निर्णय


दिनांक:— 29/12/2023

उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई पंचायत समिति भीण्डर में वल्लभनगर तहसील के ग्राम माल की टूस में हुए आवंटन में व्यापक अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के क्रम में अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) उदयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा पटवार मण्डल माल की टूस में बिलानाम काबिल काश्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उदघोषणा क्रमांक राजस्व/आवंटन/2022/280 दिनांक 06.06.2022 का जारी कर आवंटन समिति की बैठक दिनांक 14.06.2022 को आहूत की गई। माल की टूस में कृषि भूमि से आवंटन बाबत कुल 29 आवेदन उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा प्राप्त किये गये जिनसे 20 आवेदन पत्रों में आवंटन किया गया एवं शेष 9 आवेदन पत्र को खारिज किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बिलानाम भूमि की सूचना, उदघोषणा दिनांक 06.06.2022 की प्रति एवं आवंटन हेतु तैयार पत्रावलियां 20 स्वीकार एवं 9 खारिज की प्राप्त की गई। इनके अलावा बैठक की तारिख की सूचना, आदेशिका की तामिल के लिये राजस्थान राजस्व न्यायालय नियमावली भाग-1 में विहित रीति से, की जायेगी परन्तु यदि तामिल आदेशिका तामिल कराने वाले के जरिये सम्भव न हो तो सूचना पोस्टल सर्टिफिकेट के अधीन या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी के


जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रावधान है। किन्तु नियमानुसार तामिल की कार्यवाही नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरणों में प्रार्थीगणों को भूमि का आवंटन किया गया है उनमें उद्घोषणा दिनांक 06.06.2022 के पूर्व लगभग 21 प्रार्थियों द्वारा आवेदन किये गये हैं। उद्घोषणा दिनांक 06.06.2022 के पश्चात दिनांक 10.06.2022 को 8 आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त 8 आवेदनों के अलावा शेष आवेदन उद्घोषणा से पूर्व प्राप्त किये गये हैं। राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 8(1)(क) के तहत शादीशुदा व्यक्ति का आवेदन पति एवं पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से होना चाहिए था। जो इन प्रकरणों में आवेदन पर निर्णय के बाद पत्नी का नाम लिखा गया है जबकि प्रार्थना पत्र दर्ज की आदेशिका में कहीं पर संयुक्त आवेदन होने का हवाला नहीं है। आवंटित भूमि मौके पर बंजड (रांकड) के रूप में होकर कृषि योग्य नहीं पायी गई। आवंटन दिनांक 14.06.2022 से अब तक आवंटी द्वारा मौके पर कृषि नहीं किया गया है। राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 के उप नियम (5) अनुसार "सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही बैठक समाप्ति से पूर्व लिखी जायेगी तथा उपखण्ड अधिकारी व सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। किन्तु उक्त प्रकरण में बैठक कार्यवाही नहीं लिखी गई जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त आराजी बाबत कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने पात्र एवं अपात्र पाये गये एवं कितनों को नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटित भूमि मौके अनुसार कृषि योग्य नहीं है। उद्घोषणा की तामिल रीति का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्राप्त आवेदनों में से दिनांक 06.06.2022 के पूर्व लगभग 21 आवेदन एवं उद्घोषणा दिनांक 06.06.2022 के पश्चात दिनांक 10.06.2022 को 8 आवेदन प्राप्त हुए। बैठक के दिन एक भी आवेदन प्राप्त होना अंकित नहीं है जबकि सभी आवेदन नवीन आवंटन के हैं तथा नियमन का एक भी आवंटन नहीं है। बिलानाम भूमि नवीन आवंटन हेतु समिति की बैठक के दिन बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व एक भी आवेदन नहीं आना सम्पूर्ण कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बैठक के दिन आवेदन नहीं आना भी यह इंगित करता है कि उद्घोषणा का पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। बैठक कार्यवाही विवरण उपलब्ध नहीं है अतः प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि चिन्हित व्यक्तियों से ही आवेदन प्राप्त कर भूमि का आवंटन किया गया है। जो अनियमितता की श्रेणी में है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए वल्लभनगर में चिन्हित भूमि दिनांक 26.04.2022 को राज्य सरकार द्वारा चारागाह भूमि आवंटन से मना करने पर उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से इस कार्यालय के पत्रांक प.12/3()राज/आव. /20/2370-71 दिनांक 04.08.2022 से सिवायचक भूमि के प्रस्ताव चाहे गये। समस्त कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हेतु वैकल्पिक भूमि हेतु लिखने के बाद हुयी है। उक्त समस्त भूमियां माल की टूस में औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट स्थित है। राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 11(3) के अनुसार आवेदकों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 101(4)(ii) उन व्यक्तियों को जो उस गांव में रहते हैं जहां वह भूमि स्थित है, उस




 जिला कलक्टर
 उदयपुर

गांव में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों में प्राथमिकता उन व्यक्तियों को दी जायेगी जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है या उक्त नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से कम भूमि है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा वहां के निवासियों के अलावा अन्य गांव के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन कर दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा जो आवंटन किये गये हैं उनमें भी आवंटन कमेटी के निर्णय उपरान्त उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले आदेश पर दिनांक का अंकन नहीं किया हुआ है। सभी आवंटन दिनांक 14.06.2022 को किये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा पत्र दिनांक 25.07.2022 से कब्जा सिपूदगी रिपोर्ट पेश करने हेतु पत्र जारी किया गया उस पर तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पटवारी को दिनांक 05.8.2022 से कब्जा सिपूदगी की कार्यवाही हेतु लिखा गया है उसी के साथ सनद का प्ररूप 6 संलग्न किया हुआ है। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा कब्जा सिपूदगी की रिपोर्ट दिनांक 18.08.2022 को प्रस्तुत की गई है। उसी के साथ पटवारी रिपोर्ट व कब्जासिपूदगी नामा पेश किया। पटवारी कब्जा सिपूदगी रिपोर्ट में दिनांक का अंकन नहीं किया हुआ है किसी किसी पत्रावली में दिनांक 08.08.2022 अंकित है इससे यह प्रतीत होता है कि कब्जे की कार्यवाही दिनांक 08.08.2022 की गई है। आवंटन आदेश प्रपत्र 5 दिनांक 20.09.2022 को जारी किया गया है। जबकि आवंटन आदेश प्रपत्र 5 जारी होने के पश्चात ही कब्जे की कार्यवाही की जानी होती है। आवंटन समिति की बैठक में दिये आदेशानुसार आवंटन आदेश प्रपत्र 5 दिनांक 14.06.2022 को ही जारी किया जाना था। इसी प्रकार प्र.स. 8/2022 में आवंटन कमेटी के निर्णय के पश्चात आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर नहीं कर खाली रखा हुआ है एवं उसके पश्चात तहसीलदार द्वारा कब्जा सिपूदगी की रिपोर्ट पेश की गई उसमें भी दिनांक एवं पत्र क्रमांक का अंकन नहीं किया हुआ है, साथ ही आवंटन आदेश दिनांक 20.09.2022 को जारी कर दिया गया है। ग्राम माल की दूस में आ.न. 17, 20, 22, 23, 2490/25, 30, 31, 2329/19, 2353/33 भूमि रिको हेतु आरक्षित किया जाने हेतु प्रस्तावित है। इन्ही प्रस्तावित भूमि में से आराजी नम्बर 17, 22, 23, 31 को भी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा उद्घोषणा दिनांक 06.06.2022 में सम्मिलित किया गया है। वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक रीको उदयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 8885 दिनांक 28.02.2023 से माल की दूस में आराजी नम्बर 18, 27, 28, 29, 32, 33 रिको हेतु प्रस्तावित भूमि से जुडती हुई होने से निगम के नाम आरक्षित/आवंटन कराने का निवेदन किया है। राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(1) के तहत आवंटन के 3 वर्ष के भीतर भूमि यदि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक हो तो जिला कलक्टर आवन्टी को नोटिस देकर आवंटन निरस्त कर सकता है। उक्त भूमि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के निकट होने से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु आरक्षित की जा सकती है। राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त आवंटन बिना प्रक्रिया का पालन किये तथा मिलिभगत से किये जाने से सुओमोटो दर्ज कर आवंटियों को सुनवायी का अवसर दिया जाकर निरस्त योग्य है।



जिला कलक्टर
 उदयपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं लिखित बहस शा.फा की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 12.01.2023 को उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई पंचायत समिति भीण्डर मे वल्लभनगर तहसील के ग्राम माल की टूस में माह अक्टूबर 2022 में हुये आवंटन मे व्यापक अनियमितताओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर आवंटन निरस्ती का प्रकरण दर्ज किया गया। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि विधिवत तामिल की कार्यवाही की गई हो। उद्घोषणा से पूर्व 21 प्रार्थियो द्वारा आवेदन किया गया एवं 8 आवेदन उद्घोषणा के पश्चात प्राप्त किये गये। राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 8(1)(क) के तहत शादीशुदा व्यक्ति का आवेदन पति एवं पत्नी दोनो के संयुक्त नाम से होना चाहिए, जो नहीं है। आवंटित भूमि मौके पर बंजड (रांकड) के रूप में होकर कृषि योग्य नहीं पायी गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में भी इस बिन्दु का को अंकित किया है। विपक्षी द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि आवंटन पश्चात मौके पर कृषि कार्य किया जा रहा हो। राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 के उप नियम (5) अनुसार सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही बैठक समाप्ति से पूर्व लिखी जायेगी तथा उपखण्ड अधिकारी व सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। किन्तु उक्त प्रकरण में बैठक कार्यवाही नहीं लिखी गई जिससे यह ज्ञात हो सके की उक्त आराजी बाबत् कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने पात्र एवं अपात्र पाये गये एवं कितनो को नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवेदकों के निवास स्थान के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकतर आवेदनकर्ता दूसरे गांव के निवासी है। उक्त भूमि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थित है। आवंटन प्रक्रिया का पालन नहीं कर आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया है अतः आवंटन निरस्त किया जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा पटवार मण्डल माल की टूस में बिलानाम काबिल काश्त भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उद्घोषणा क्रमांक राजस्व/आवंटन/2022/ 280 दिनांक 06.06.2022 जारी की गई तथा आवंटन समिति की बैठक दिनांक 14.06.2022 को आहूत की गई। उक्त उद्घोषणा के अंतर्गत कुल 29 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 20 आवेदनों में आवंटन किया गया एवं शेष 9 आवेदन निरस्त किए गए। प्रार्थीगणों को नियमानुसार तामिल की कार्यवाही की गई तथा बैठक की सूचना पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1970 के नियम 8(1)(क) के अनुसार आवेदन पति-पत्नी के संयुक्त नाम से होना आवश्यक है। ग्रामीण आवेदकों को इस प्रक्रिया



2

की जानकारी न होने के कारण प्रारम्भ में केवल पति के नाम से आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें बाद में आवंटन अधिकारी के निर्देश पर पत्नी के नाम जोड़कर दुरुस्त किया गया। पटवारी हल्का द्वारा आवेदनों की जाँच कर कमियों को दूर किया गया, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि आवंटन नियमविरुद्ध था। आवंटित भूमि प्रारम्भ में बंजर दर्शित थी, परंतु वर्तमान में आवंटियों द्वारा उस पर कृषि की जा रही है तथा संबंधित पटवारी द्वारा पिछले तीन वर्षों से गिरदावरी भी की जा रही है। आवंटन समिति की बैठक विधिवत आयोजित हुई, जिसकी कार्यवाही रजिस्टर में अंकित है एवं तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, प्रधान, तहसीलदार, विकास अधिकारी तथा सरपंच सहित सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है। रीको हेतु उक्त भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी, बल्कि वल्लभनगर तहसील के अन्य पटवार हल्के में भूमि प्रस्तावित की गई थी। रीको को पूर्व में ही पृथक भूमि आवंटित की जा चुकी थी, जिसे विकसित भी कर दिया गया है। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, रीको उदयपुर द्वारा दिनांक 28.02.2023 को जिन आराजी नंबरों के संबंध में निवेदन किया गया, वे भूमि उससे पूर्व ही दिनांक 14.06.2022 को आवंटित की जा चुकी थी। आवंटित भूमि किसी एक स्थान पर न होकर विभिन्न स्थानों पर फैली हुई है तथा सभी आवंटी ग्राम पंचायत माल की दूस के ही निवासी हैं। वर्तमान में भूमि विपक्षी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं आवंटी मौके पर काबिज होकर कृषि उपयोग कर रहे हैं। आवंटन प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत नियमानुसार एवं सर्वसम्मति से किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किए जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा पटवार मण्डल माल की दूस में बिलानाम काबिल काश्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उद्घोषणा क्रमांक राजस्व/आवंटन/2022 /280 दिनांक 06.06.2022 से जारी कर आवंटन समिति की बैठक दिनांक 14.06.2022 को प्रातः 11 बजे आहूत की गई। उद्घोषणा से पूर्व 21 प्रार्थियों द्वारा आवेदन किया गया एवं 8 आवेदन उद्घोषणा के पश्चात प्राप्त किये गये। बैठक के दिन एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जबकि सभी आवेदन नवीन आवंटन के हैं तथा नियमन का एक भी आवंटन नहीं है इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः कुछ व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि का आवंटन किया गया है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 8(1)(क) के तहत शादीशुदा व्यक्ति का आवेदन पति एवं पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से होना चाहिए था किन्तु प्रकरणों में आवेदन पर निर्णय के बाद पत्नी का नाम लिखा गया है जबकि प्रार्थना पत्र दर्ज की आदेशिका में कहीं पर संयुक्त आवेदन होने का हवाला नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) स्तर के अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि आवंटित भूमि मौके पर बंजड (रांकड) के रूप में होकर कृषि योग्य नहीं पायी गई। आवंटन दिनांक 14.06.2022 से 03.03.2023 तक किसी भी आवंटी द्वारा मौके पर कृषि नहीं किया जाना पाया गया। मौके पर बंजड



जिला कलक्टर
 उदयपुर

(रांकड) की अवस्था में ही भूमि पायी गई। विपक्षी द्वारा ना तो खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई है और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो कि मौके पर काश्त की जा रही है। राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 के उप नियम (5) अनुसार "सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही बैठक समाप्ति से पूर्व लिखी जायेगी तथा उपखण्ड अधिकारी व सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी किन्तु पत्रावली पर बैठक कार्यवाही से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आवेदकों के निवास स्थान के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकतर आवेदनकर्ता दूसरे गांव के निवासी है। आवंटन की गई भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट स्थित है अतः इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए उक्त भूमि का आवंटन किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी को भूमि का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम) 1970 के तहत वर्णित प्रावधानों/नियमों के तहत नहीं किया गया है तथा किये गये आवंटन तर्क संगत एवं विधि संगत प्रतीत नहीं होते हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर श्री सुमेर सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत एवं श्रीमती माया कुंवर पत्नी श्री सुमेर सिंह राजपूत को राजस्व ग्राम टाक पटवार मण्डल माल की टूस की आराजी संख्या 988 रकबा 3.42 हेक्टेयर में से आवंटित 0.50 हेक्टेयर भूमि पुनः बिलानाम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर एवं तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावे। तहसीलदार वल्लभनगर अविलम्ब राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में पालना रिपोर्ट न्यायालय एवं जिला कलक्टर कार्यालय उदयपुर को प्रेषित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(नमित मेहता)
 जिला कलक्टर
 उदयपुर